

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 335] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 1970/भाद्र 19, 1892

No. 335] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 1970/BHADRA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th September 1970

S O 3001—In exercise of the powers conferred by article 324 of the Constitution read with rule 5 and rule 10 of the Conduct of Election Rules, 1961, and all other powers enabling it in this behalf, the Election Commission of India, hereby makes the following amendment in its, The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, dated the 31st August, 1968, published as S O 2959, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (ii) dated the 31st August, 1968, namely—

In item 1), in sub-para (1) of para 2 for the existing entry the entry 'State' includes the autonomous State of Meghalaya and a Union Territory," shall be substituted

[No 56/70-XII]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिमूचनापत्र

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1970

एस० ओ० 3001—निर्वाचना का मंचालन नियम 1961 के नियम 5 और नियम 10 के माध्यम से, मविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा हम निमित्त उक्त समर्थ बनाने का कि अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii) तारीख 31 अगस्त, 1968 में का० प्रा० 2959 के रूप में प्रकाशित निर्वाचन प्रतीक (प्रारक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, तारीख 31 अगस्त 1968 में एनद्वांग निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :—

पैरा 2 के उप-पैरा (1) की मद (झ) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "राज्य" के अन्तर्गत मेघालय का स्वायत्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं।" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[स० 56/70—XII]

S.O. 3002. In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/69-II (S.O. 89), dated the 4th January, 1969, namely:—

- (i) In Table 2, below the entry "Tripura.... Tripura Congress.... Plough", the entry "Meghalaya.... All Party Hill Leaders Conference.... Flower" shall be added; and
- (ii) In Table 3, below the entry "27. Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.... (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Scales and (4) Two Leaves", the entry "28. Meghalaya.... (1) Bicycle, (2) Boat, (3) Lion, (4) Scales, (5) Spade and (6) Two Leaves" shall be added.

[No. 56/70.XIII.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 3002.—निर्वाचन प्रतीक (प्रारक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, अपनी अधिमूचना सं० 56/69—II (का० प्रा० 89), तारीख 4 जनवरी, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

(i) सारणी 2 में, "त्रिपुरा त्रिपुरा कांग्रेस हथ" प्रविष्टि के नीचे "मेघालय—सर्व पार्टी हिल लीडर्स कांफ्रेंस—फूल" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी। और

(ii) सारणी 3 में, "27—लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह —

(1) साइकिल, (2) नाव, (3) तराजू तथा (4) दो पत्तियाँ" प्रविष्टि के नीचे '28—मेघालय—(1) साइकिल, (2) नाव, (3) शेर, (4) तराजू, (5) फावड़ा तथा (6) दो पत्तियाँ" प्रविष्टि जोड़ी जाएगी।

[स० 56/70—XIII]

आदेश से,

ए० एन० सेन, सचिव।